

पीतासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/पुनराव कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वत दिनांक.....को पेश है

रीडर 16/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बाराँ

10/22

16/23

पत्रावली पेश हुई। एक एक कर तीन बार
आवाज दिलाई गई। न तो वकील वादीगण
उप. न ही वादीगण ऐसी स्थिति में न्यायालय
उक्त वाद को आगे औरकार शरणा उचित
नहीं समझता है। अतः उक्त वाद को
अदम दायरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाया है। पत्रावली कैसल शुमार होकर
नम्बर से कम कि जावे। निर्णय आज
दिनांक 16-1-20 23 को सरे इजलास पुनाया
गया।